



2026: AHC : 51568

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 7060/2026

राजेश मणि त्रिपाठी एवं अन्य ...याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य ...प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: गणेश कुमार

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी. (मुख्य स्थायी अधिवक्ता), पंकज कुमार गुप्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. कुछ तर्कों के पश्चात, याचियों के अधिवक्ता द्वारा याचिकाकर्ताओं की सूची से याचिकाकर्ता संख्या-2 सुभाष तिवारी का नाम हटाने का अनुरोध किया गया है।
2. की गई प्रार्थना स्वीकार की जाती है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को दिन की कार्यवाही के दौरान याचिकाकर्ताओं की सूची से याचिकाकर्ता संख्या-2 सुभाष तिवारी का नाम हटाने की अनुमति दी जाती है।
3. याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान रिट याचिका, अन्य बातों के साथ-साथ, उत्तर प्रदेश ज़मींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (U.P.Z.A. & L.R.) अधिनियम की धारा 122-बी के तहत मामला संख्या T-2014171404771 में प्रतिवादी संख्या 2/तहसीलदार/सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, तहसील-रुधौली, जनपद-बस्ती द्वारा जारी बेदखली एवं वसूली नोटिस दिनांक 23.09.2025 को रद्द करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की है।
4. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता संख्या 1, राजेश मणि त्रिपाठी के विरुद्ध शुरू की गई कार्यवाही में 30.10.2015 को बेदखली का एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है। जैसे ही याचिकाकर्ताओं को उक्त आदेश की जानकारी हुई, उनके द्वारा 06.10.2025 को विलंब क्षमा आवेदन के साथ पुनरावलोकन (रिक्वॉल) आवेदन दायर किया गया। आगे यह तर्क दिया गया कि उक्त रिक्वॉल आवेदन के लंबित रहने के दौरान, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा 23.09.2025 को एक नोटिस जारी किया गया, जिसके कारण वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है। यह तर्क दिया गया कि प्रतिवादी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संख्या 3 को उपरोक्त आवेदनों पर उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाए और जब तक उनका निस्तारण नहीं हो जाता, तब तक याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेखों का अवलोकन किया।
6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहमति से, वर्तमान रिट याचिका को प्रवेश स्तर पर ही निस्तारित किया जा रहा है।
7. उपर्युक्त के आलोक में, वर्तमान रिट याचिका को अंततः इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 2, याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिकॉल और विलंब क्षमा के आवेदनों दिनांक 06.10.2025 पर अति शीघ्र और अधिमानतः आज से तीन महीने के भीतर उचित आदेश पारित करें।
8. उपरोक्त आवेदनों के निस्तारण तक या चार महीने की अवधि तक, जो भी पहले हो, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जारी नोटिस दिनांक 23.09.2025 (जिसकी प्रति रिट याचिका के अनुलग्नक-5 के रूप में संलग्न है) के क्रम में याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

दिनांक: 13 मार्च, 2026

प्रमोद त्रिपाठी